भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के सामाजिक और राजनीतिक प्रदत अधिकारों का आनुभविक अध्ययन, (आगरा नगर क्षेत्र के विशेष सन्दर्भ में)

दयालबाग शिक्षण संस्थान (डीम्ड यूनिवर्सिटी) दयालबाग, आगरा

पी.एच.डी. (राजनीति विज्ञान) की उपाधि हेतु

प्रस्तावित अनुसंधान की रूपरेखा

2019

शोध निर्देशिका :

डॉ0 अंन्जू शर्मा

असिस्टेंट प्रोफेसर

विभाग समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान
समाज विज्ञान संकाय

शोधार्थिनी :

प्रीति कुमारी

(राजनीतिक विज्ञान)

प्रो0 कमलजीत संधु

संकाय प्रमुखः

समाज विज्ञान संकाय

प्रो0 पूर्णिमा जैन

विभागाध्यक्षः

विभाग समाजशास्त्र एवं राजनीतिक
समाज विज्ञान संकाय

दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी)

दयालबाग, आगरा

प्रस्तावना अधिकार सामाजिक जीवन के लिए अनिवार्य है, जिसके बिना न तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। मानव अधिकारों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही उसकी सामाजिक व राजनीतिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है।

ग्रीन के अनुसार :—''अधिकार वह शक्ति होती है जिसकी लोक कल्याण के लिए ही माँग की जाती है जिसे मान्यता भी प्राप्त होती है''।

बोसांके के अनुसार :—''अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता हैं''।

डॉ0 बेनी प्रसाद के अनुसार :—''अधिकार वे सामाजिक दशाएँहैं जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक हैं''।

लास्की के अनुसार :—''अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ है जिन के अभाव में सामान्यतया कोई भी व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता हैं''।

समाज में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव पूर्ण व्यवहार न सिर्फ समाज में विकृतियाँ पैदा करता है बल्कि व्यक्तियों के मानवधिकारों का भी उल्लंघन करता है। मानवधिकारों का उल्लंघन किस प्रकार किया गया इसका ऐतिहासिक दृष्टि से देख सकते हैं।

अनुसूचित जाति

अनुसूचित जाति के विस्तार की जानकारी हमें प्राचीन विचारकों की रचनाओं से प्राप्त होती है। प्राचीन काल से ही वर्ण की उत्पत्ति मानी जाती है। वैदिक युग से लेकर चली आ रही है वैदिक काल में वेद के अन्तगर्त ऋग्वेद मे वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है वर्ण शब्द की उत्पत्ति सस्ंकृत के ''वृ'' धातु से हुई है जिसका अर्थ चुनना या वरन करना। वर्ण से तात्पर्य व्यवस्था के चुनने से माना गया है। भारतीय समाज में वर्ण का अर्थ वर्ग से लिया जाता है। भारतीय समाज में दो मुख्य वर्णो का वर्णन है इन दो वर्णो को अलग—अलग नाम से सम्बोधित किया जाता है आर्य वर्ण और अनार्य वर्ण।

कुछ समाज को इन कार्यो के आधार पर चार वर्णो में बाटा गया हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य,शूद्र। ब्राह्मण का कार्य पढ़ना–लिखना, यज्ञ करना, पूजा करना। क्षत्रिय का कार्य रक्षा का संचालन करना। वैश्य का कार्य व्यापार, वाणिज्य करना। शूद्र का कार्य तीनों की सेवा करना था कार्य का विभाजन ही असमानता, अन्याय, अपमान, घृणा पर टिका हुआ था जो समाज के अन्तगर्त ही सामाजिक न्याय व्यवस्था राजनीतिक अधिकारों व सामाजिक अधिकारों का उल्लंघन करके भारतीय नागरिकों के बीच विभेदीकरण व विकृतियों को बढ़ावा देता हैं। समाज को विभिन्न प्रक्रियायों और कार्यो के विभाजन का स्वरूप ही वर्ग विभाजन था। लेकिन शुरू –शुरू में वर्ण विभाजन का बंधन कठोर नहीं था वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित नहीं थी, अपितु कर्म पर आधारित थी।

शुक्रनीति के अनुसार :–''जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र नहीं होता गुण तथा कर्म के आधार पर ही उसका वर्ण निर्धारित हो जाता है''।

वैदिक काल के अत्तिम चरण में ब्राह्मणों ने अन्य वर्णो की तुलना में अपने को श्रेष्ठ निरूपति करना आरम्भ कर दिया। जिससे वह वर्ण के अन्तगर्त परिवर्तन हो गया। वर्ण का स्थान जाति ने ले लिया। जिससे यह जन्म से आधारित होने लगा। मनु स्मृति के काल से ही वर्णो में कठोरता से पालन किया गया। इसके अन्तगर्त चार वर्णो का स्पष्ट वर्ण है। कुछ इतिहासकारों का मानना है इस काल में वर्ण व्यवस्था पूरी तरह जन्म पर आधारित हो गया एक जाति से दूसरी जाति के बीच आपसी सघंर्ष होने के साथ ही घृणा, अत्याचार, भेदभाव, अस्पृश्यता की भावना और अपनी जाति में विवाह, खानपान का निषेध आदि कार्यो को बढ़ावा मिलने लगा। इन अपमान जनक कुरूतियों का समाधान करने के लिए डॉ0 अम्बेडकर ने अस्पृश्यता की स्थिति और अन्य दयनीय स्थिति को देखकर सुधार व परिवतर्न के लिए त्रिसूत्रीय उपदेश देना उचित समझा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। अर्थात इसका मतलब है कि मनुष्य के लिए शिक्षा अनिवार्य है क्योंकि शिक्षा के बल पर नई सोच व तकनीक आधार पर एक साथ संगठित रखने के लिए महत्वपूर्ण है फिर एक साथ सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकारों के लिए खड़े होकर संघर्ष करो।

.सामाजिक न्याय की अवधारणा

सामाजिक न्याय का तात्पर्य समाज की ऐसी व्यवस्था से है जो समाज में जाति, धर्म, भाषा, रंग, व्यवसाय, क्षेत्र, अमीर – गरीब आदि सभी वर्गों के व्यक्तियों को उनकी उन्नति का समान अवसर मिल सके। इसके लिए कई विद्वानों ने विचार दिए हैं। यहाँ प्राचीन काल से ही समाज के अन्तगर्त सामाजिक स्थिति में नागरिक के बीच भेदभावहोने लगा था यहाँ जात–पात व अपमान, शोषण इत्यादि समस्याओं कोझेलते व देखते हुये शिक्षा का अध्ययन किया फिर इन्ही समाज सुधारक और राजनीतिक इतिहासकारों व विचारकों ने अस्पृश्यता, उत्पीड़न अन्य बेडियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का प्रयत्न किया। जैसे–ज्योतिबा फुले, डॉ0 भीमराव अम्बेडकर।

ज्योतिबा फूले के विचार

लम्बे समय से भारतीय समाज के अन्तगर्त अन्यायपूर्ण, अमानवीय व्यवहार और शोषणकारी व्यवस्था मौजुद थी जो समाज में असमानता का भाव उत्पन्न करती है। इन असमानताओं के अधीन ही शूद्र–अतिशूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था समाज में इन गैर जिम्मेदारी रवैया की वजह से कुछ वर्ग के लोग अनपढ़ के अनपढ़ ही रहे, कुछ लोग शिक्षित, पढ़े लिखे होने पर भी ब्राह्मणों के नकली पाखँडी धर्म ग्रथों, शास्त्रपुराणों के अन्धभक्त बनकर दिलों–दिमाग से गुलाम ही रहे। इसी गुलामी से निजात पाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। समाज में सामाजिक चेतना जाग्रत करने का महत्वपूर्ण काम किया जैसे – मानव धर्म सभा, परमहंस सभा, सत्यशोधक समाज। ज्योतिबा फूले अस्पृश्यता की जड़ को समाप्त करके समाज कल्याण का कार्य बड़े साहस और उत्साह के साथ किया

डॉ0 भीमराव अम्बेडकर

19 वी सदी में जन्मे ऐसे महान समाज सुधारक व देश के गौरवशाली सपूत नागरिक डॉ0 भीमराव अम्बेडकर थे जिन्होंने दलित वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उत्थान के प्रति समर्पण, दलितोद्धार सच्चे देश भक्त, निःस्वार्थता, निर्भीक, बुद्धिवान व्यक्ति थे जिन्होने चारों दिशा का ज्ञान प्राप्त करके कईकार्य किए जैसे – 1920 में एक मराठी पाक्षिक **मूकनायक** आरम्भ किया। सन 1923

में सवणों के **बहिष्कृत हितकारिणी सभा** में अस्पृश्य लोगों की नैतिकता, समानता लाने के लिए संगठन की स्थापना की। सन 1927 में कोलम्बा जिले के तहत अस्पृश्य जातियों के लिए एक **सार्वजनिक तालाब चावाडोर** से पानी लेने का प्रयास किया था। सन 1927में निम्न वर्ग की कठिनाईयों को जनता सामने लाने के लिए **बहिष्कृत भारत** नामक एक मराठी पाक्षिक आरम्भ किया। समाज **समता सघं** नाम का संगठन शोषित वर्ग के लिए स्थापना की।सन 1930 में **काला राम मन्दिर प्रवेश** आन्दोलन संगठित किया। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर बम्बई प्रदेश की विधान परिषद के एक नागरिक के रूप में शोषित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन मण्डल की पहल की। सन 16 अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधान मन्त्री द्वारा **कम्यूनल अवार्ड** को पूरा करने का फैसला लिया तब ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय से महात्मा गांधी बहुत दुःखी हूये फिर पुना में आगां खां महल में उपवास के दौरान घोषणा कर दी। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने गांधी की जान बचाने के लिए अलग निर्वाचन मण्डल के स्थान पर आरक्षित निर्वाचक क्षेत्रों की बात मानने के लिए मजबूर कर दिया गया। सन 1942 में शोषित वर्गो के हितों सुरक्षा के लिए अखिल भारतीय राजनीतिक दल रूप में **अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ** का गठन किया । 8 अगस्त 1949 को भारत सरकार का विधिमन्त्री बनाया गया। सन 4 फरवरी 1951 में परिश्रम पूर्वक हिन्दू कोड बिल तैयार किया जिसका उद्देश्य हिन्दू समाज में सुधार लाना, परम्परागत हिन्दू कानूनों को संहिता बद्ध करना था। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के हिन्दू कोड बिल को सफलता न हासिल हो सके। इस मुददे पर प्रधान मन्त्री जवाहर लाल नेहरू और अन्य साथियों के द्वारा मतभेद हुये इसी मतभेद के कारण सन 25 सितम्बर 1951 सरकार को त्यागपत्र दिया। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने कहा सन 1935 में अछुत लोग हिन्दु धर्म छोड़कर कोई अन्य धर्म अपनाएगें कुछ समय पश्चात् ही धर्म ज्ञान का अध्ययन किया। सन 1955 में भारतीय बुद्ध महासभा स्थापना की। सन 1956 को नागपूर में बौद्ध धर्म को अपना लिया। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर का पुरा जीवन देश हित, दलितोद्धार के प्रति कार्यो को करते रहे।

भारत में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण व्यवस्था का विकास(1870 –1947)

भारतवासी दलितों, पिछड़ों, अनुसूचित जाति के उत्थान एंव संरक्षण हेतु भारत के संविधान में रखे गये शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों से सम्बधित सवैधानिक प्रावधानों तथा राष्ट्रीय एंव अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति मानवाधिकारों के लिए आरक्षण किया गया है। भारत में आजादी से पूर्व के पश्चात् **मूवमेन्ट इन द बोम्बे प्रेसीडेंसी** चलाने वाले महात्मा ज्योतिबा फूले थे। सन 1873 ई में **सत्यशोधक समाज** स्थापित किया। 1880 के आस–पास छत्रपति साहु जी महाराज ने ब्रिटिश इण्डिया में प्रिंसस्टेट में पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने के लिए मांग रखी। 1882 में हंटर कमीशन के द्वारा प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र पर जोर दिया उस समय विख्यात समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले ने सभी रियासतों में नौकरियों के अनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं शिक्षा की मांग की। यह मांग बाद में एक आन्दोलन का रूप ले लिया इसी बीच देश की बडी रियासत **कोल्हापुर** के महाराजा **छत्रपति साहू** जी ने 1902 में गैर ब्राहमण जातियों पिछड़ी जातियों के आरक्षण घोषणा की, इसके तहत उन्होने मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूल और हॉस्टल का प्रबंध किया,शोषित वर्ग के लिए रियासत के अन्तगर्त अस्पृश्यता के विरोद्ध में कड़े नियम अपनाये। 1943 में दलित वर्ग के प्रति केन्द्र सरकार के सरकारी पद 8 प्रतिशत ही आरक्षित कर दिए गए। 1942 डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति की उन्नति के समर्थन के लिए अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना की। उन्होंने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण की मांग की। सन 1947 में भारत के अन्तगर्त डॉ0 अम्बेडकर को संविधान भारतीय के लिए मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया भारतीय संविधान न केवल धर्म, जाति, लिगं और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करते हुए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गो और अनुसूचित जाति उन्नति के लिए संविधान में विशेष धाराएँ शमिल हैं।

भारत में आजादी के बाद (1950–2019)

सन 1953 में अनुसूचित जाति को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए रिपोर्ट को स्वीकार किया गया।सन 1953 में अनुसूचित जाति के लिए 12.5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन सन 1960 में अनुसूचित जातियों आरक्षण बढ़ाकर क्रमशः 15 प्रतिशत कर दिया गया। सन 1969 अनुच्छेद 334 में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए दस वर्षो तक और बढ़ाने के लिए संसद और विधान मण्डलों के अन्तगर्त में अनुच्छेद 334 में संशोधन किया गया। सन 1989 में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की सीटों के आरक्षण तथा लोकसभा और विधान सभाओं में प्रतिनिधित्व से सम्बधिंत व्यवस्था लागू हो जाने के 40 वर्ष बाद समाप्त हो जायेगी। अनुसूचित जातियों 40 वर्षो में पर्याप्त लाभ के लिए किया गया। किन्तु संविधान सभा के सामने इस तरह की व्यवस्था बनाते समय जो कारण थे वे ज्यों के त्यों समाज के अधीन बने हुऐ थे। इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 334 को संशोधित करके यह व्यवस्था की गयी, कि अनुसूचित जाति का मनोनयन द्वारा प्रतिनिधित्व का कार्य 10 वर्षे तक जारी रहेगा। 25 जनवरी 1990 तक लोक सभा और राज्य विधान सभाओं अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करनां। अनुच्छेद 332 के निष्पादन में राज्य विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था गई हैं। भारतीय संविधान अधिनियम 1995 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को पदोन्नतियों की व्यवस्था है। सन 2006 निजी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93 वॉ संवैधानिक संशोधन लाया गया। इसने अगस्त 2005 में सर्वोच्च न्यायलय के फेसले को प्रभावी रूप से उलट दिया। 79 वें संशोधन सन 2000 में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के लिए संसद और राज्य विधान मण्डलों में स्थान आरक्षित रखने की व्यवस्था 5 जनवरी सन 2010 तक आरक्षण अवधि बढ़ा दी गयी। यहाँ केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण सीटों में से अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 7.5 प्रतिशत, अन्य पिछडे वर्गों 27 प्रतिशत आरक्षण को शामिल करके ही कुल आरक्षण सीट 49.5 प्रतिशत तक कर दिया गया हैं।

संविधान में अनुसूचित जातियों के लिए किए गए प्रावधान

अनुसूचित जातियों में भारतीय समाज के सबसे अधिक उत्पीड़ित, समस्याग्रस्त लोग शमिल है। अनुसूचित जातियों के विकास को निश्चित करने के लिए मानवाधिकारों की स्थापना हुई अनुसूचित जातियों के विकास के मार्ग में आने वाली अत्याचारों, शोषण इत्यादि कठिनाईयों को रोकने के लिए भारतीय संविधान में सामाजिक और राजनीतिक अधिकार, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकारों के कई प्रावधान किये गये।

1 अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 व 18 समानता का अधिकारः– समाज में धर्म,जाति, सम्पति, वर्ण या लिग इत्यादि के भेद के बिना सभी व्यक्तियों को अपने जीवन का विकास करने के लिए समान सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए। इसे समानता का अधिकार कहा जाता है।

2 अनुच्छेद 19 व 22 स्वतंत्रता का अधिकार किसी भी उन्नतिशील समाज तथा प्रजातन्त्र की सफलता के लिये व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक होती है।

3 अनुच्छेद 23 बलात एंव बंधुआ श्रम का उन्मूलन का निषेध।

4 अनुच्छेद 29के अनुसार विशिष्ट भाषा, वर्गो को अपनी भाषा, लिपि, और सांस्कृतिक, शैक्षणिक अधिकारों का संरक्षण आदि के आधार पर किसी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्था में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा।

5 अनुच्छेद 38 में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्थाकी स्थापना और रक्षा करने का भरसक प्रयास करेगा जो सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय द्वारा राष्ट्रीय जीवन की सब संस्थओं को अभिप्रमाणित करके लोक कल्याण की वृद्धि करें।

6 अनुच्छेद 49 के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों को व अन्य जातियों के प्रति राज्य का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को बिगड़ने, नष्ट होने, हटाये जाने से सरक्षण करें। इनकी रक्षा के लिये संसद कानून बना सकती है।

7 अनुच्छेद 243 (घ) ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के स्तर पर निर्वाचन पदों में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति को आरक्षण।

8 अनुच्छेद 244–339 अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित प्रावधान।

9 अनुच्छेद 320 (4) अनुसूचित जाति के लोगों को सेवाओं में नियुक्ति का विशेष प्रावधान किया गया।

10 अनुच्छेद 335 अनुसूचित जाति को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान।

11 अनुच्छेद 330, 332, 334 में विधायिका (संसद एवं विधानसभा) में आरक्षण की व्यवस्था, इन्हें प्रतिनिधित्व की विशेष सुविधा दी गई। (95 वॉ संशोधन संविधान अधिनियम)

सरकार ने समाज से छुआछुत को जड़ से मिटाने के लिए प्रयास किया हैं सरकार ने इस संशोधन में छुआछूत को बढ़ावा वो व्यक्तियों को सख्त दण्ड देने का निर्णय लिया। 19 नवम्बर 1976 को संशोधन नियम लागू किया गया। अनुसूचित जातियों के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सीटें आरक्षित हैं। इस बात की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में की गई। प्रारम्भ में यह व्यवस्था सिर्फ दस सा के लिए की गई थी। परन्तु बाद में एक संशोधन के द्वारा इसे 25 जनवरी 1990 तक के लिए बढ़ा दिया गया।

देश की आजादी के बाद भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने अनसुचित जातियों के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये जो निम्न प्रकार से हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 2004, अनुसूचित जाति (क्रूरता निवारक) अधिनियम 1989, बहुसदस्यीय अनुसूचित जाति आयोग 1978, अस्पृश्यता के विरूद्ध कानून 1955, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1978, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण द्वारा रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह योजना शुरू की गयी है।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जून 2011,राष्ट्रीय शहरी अजीविका मिशन 23 सितम्बर 2013, प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015, अटल पैंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री आवाज योजना 25 जून 2015।

साहित्य पुनरावलोकन

किसी भी शोधकर्ता को अपनी शोध समस्या के चयन प्राकल्पना निर्माण तथा अध्ययन को तैयार करने के लिए कई प्रकार के आधारों की आवश्यकता होती है। जो कि पुस्तकें अनेक ज्ञानकोश पत्र–पत्रिकाओं, अभिलेखों से किए गए। शोध परिणामों से प्राप्त होता है। इसके साथ–साथ शोधकर्ता को संदर्भ साहित्य के सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है। अतः प्रस्तुत अध्ययन से संबधित साहित्य सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है।

शर्मा, डॉ0 शंकर दयाल (1995):–इस पुस्तक के अनुसार डॉ0 अम्बेडकर को भारत सपूत कहकर गर्व का अनुभव होना स्वाभाविक है। क्योकिं उन्होने सांस्कृतिक इतिहास का गहन अध्ययन कर समस्त जीवन का लक्ष्य दुनियाँ के कोने–कोने में बसे अनुसूचित जाति के अत्याचारों को नष्ट करके बंधनमुक्त कर अधिकारों को प्राप्त करना था। मानव की मूल प्रतिष्ठा तथा उसके सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों को समानप्रद रखने का प्रयास किया। इसीलिए अनुसूचित जाति के लिए संवैधानिक अधिकारों के अधीन कानून एवं अधिनियम बनायें गये। लेकिन सदियों से भारत को कमजोर बनाने वाले जातिवादी दृष्टिकोण और लोकव्यवहार पर अहितकर है। महान मानवतावादी विचारों ने सर्वधर्म सम्भावः एवं बौद्धिक धर्म पर बल दिया। जिससे क्रूरता का वातावरण समाप्त हो सके। लेकिन फिर भी जातिप्रथा को कायम रखा गया। आज की स्थिति को देखे तो जातिप्रथा पर काफी बदलाव की स्थिति में आ गया है। क्योंकि यहाँ सवर्णो की शक्तियों का पतन, दलितों का उत्थान, श्रम विभाजन के पैमाने में परिवर्तन पूर्ण रूप से ह्रास समाप्त नहीं हुआ है।

शर्मा, डॉ0 योगेन्द्र कुमार (2001):– इस पुस्तक में डॉ0 अम्बेडकर महान समाज सुधारक के रूपों में जाने जाते है। समाज कल्याण के प्रति अस्पृश्यता व जातिवाद वर्णभेद का विरोध किया इसके लिए संवैधानिक कानून व अधिनियम बनाये गये और धर्म परिवर्तन एवं हिन्दू कोड बिल का समर्थन किया। क्योंकि समानता व स्वतंत्रता के साथ ही बंधुत्वा की भावना समुचित रूप से होना आवश्यक है। तभी समाज में राजनीतिक व सामाजिक कार्यो के अधीन एक सुदृढ़ता कायम किया जा सकता है।

पांड़े, डॉ0 प्रीति (2006) इस पुस्तक में सुख –सुविधाओं से वंचित नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय के परिवर्तन को प्राथमिकता दी हैं। डॉ0 अम्बेडकर ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में समानता, स्वतन्त्रता, भ्रातृत्व नागरिक की गरिमा के मूल्यों को महत्ता देता हैं। इस अध्यायन में सामाजिक परिवर्तन एवं न्याय के अन्तगर्त ऐतिहासिक सिद्धातों पर विचार विमर्श कसके संवैधानिक प्रावधान में सुरक्षा कार्यों को स्पष्ट किया गया हैं।

बोरूच, के बनी (2006) भारत में नौकरियों के लिए धर्म जाति के विशेष सन्दर्भ में आरक्षण प्राप्त भुमिका का विश्लेषण किया गया हैं। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में 5 प्रतिशत अकों का लाभ मिलने के बाद भी शैक्षिक और आर्थिक रूप से वंचितों बच्चों का विशाल जन समूह के लिए अच्छे शिक्षा संस्थानों में प्रवेश करने के लिए बढ़ावा दिया गया हैं। आर्थिक सुधार में नौकरियों के आरक्षण न पहुँचने वालों की जांच करता हैं।

जाटव,डी0 आर0 (2007) इस पुस्तक का अध्ययन करते हुयें यह जानकारी प्राप्त हुई है कि मनुष्य अपनी बुद्धि के सहारे अनेक समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयत्नों का अध्ययन किया जा सकता है। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के दुःख दूर करने से पहले उन्होंने भारतीय इतिहास का अध्ययन किया, फिर कहा कि मानववाद में उन सभी विचारों का कोई स्थान नहीं है, जो कोरी कल्पनाओं पर आश्रित है क्योंकि इनमें फँसकर आदमी भ्रमित हो जाता है। वही से समाज में अत्याचार, अधीनता, शोषण, भेदभाव आदि घटनाएँ व्याप्त होती है इसी लिए कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के विचारों से अनुसूचित जातियों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार के संबंध में जागरूक करना था।

अम्बेडकर, एस. एन (2008) इस पुस्तक के अन्तगर्त स्पष्ट किया गया हैं कि ऐतिहासिक घटनाओं के अधीन सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से न बचने का मुख्य कारण भी व्याप्त समाज में कई बार अनुसूचित जातियों को पुलिस और मजिस्ट्रेट की सुरक्षा व्यवस्था नहीं मिली थी। इसलिए भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षा उपायों का प्रावधान करता हैं। सरकार द्वारा विशेष ध्यान में रखते हुए लोगों के कमजोर और उत्पीड़त वर्गों के

शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा विशेस रूच से अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों में सुरक्षा कार्यों के प्रावधानों एवं सरकार व्यवस्था के कायों का भी विश्लेषण किया गया हैं।

शाह, घनश्याम (2009) इस पुस्तक में अनुसूचित जाति के विकासात्मक कार्यो को सरकारी स्तर व कार्य करने वाली संस्थाओं में सुधार का वर्णन किया है। यहाँ अनुसूचित जातियों के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का समाधान आन्दोलन के माध्यामों से किया है। समाज में अनुसूचित जाति सम्बधिंत असमानता, भेदभाव आदि क्रियाओं का अध्ययन किया है। इसके लिए दलित आन्दोलन की सहायता में सुधारवादी, विकासात्मक, मौलिक अधिकार, राजनीतिक सहभागिता, समाजिक सुधारात्मक कार्यों में विश्लेषण किया है।

सिंह, डॉ0 संजय (2010) इस पुस्तक में अध्ययन अनुसूचित जाति के मानवाधिकार के संबंध में किया गया है। अनुसूचित जाति के नागरिकों को समाज में जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई रूढ़िवादी मान्यताओं के चलते अनुसूचित जातियों को सदैव अपमानित किया जाता हैं। भारतीय संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अनुसूचित जातियों को सुरक्षा व्यवस्था हैं। अनुसूचित जाति की जीवनशैली सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समस्यों की परिस्थिति बदलती रही है। अनुसूचित जातियों को सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों को संवैधानिक प्रावधानों में शामिल किया गया हैं।

पाण्डेय, राजेन्द्र कुमार (2012):—सामाजिक न्याय से तात्पर्य देश की सामाजिक, आर्थिक तथा प्रजातांत्रिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए समाज की दयनीय स्थिति सुधार के पथ पर कठिन उद्देश्य व समन्वयकारी उपाय उठाने चाहिए। समाज में सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता इत्यादि के लिए संघर्ष किया। डॉ0 अम्बेडकर ने वैधानिक, नीतियाँ, सरकारी नीतियाँ, संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था जो सामाजिक असमानता को समाप्त करने के लिए प्रयोग किये। समाज के वंचित वर्गो के लिए योग्यता वश सार्वजनिक सेवा आरक्षण, समाज में स्वंय का परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, खान–पान से संबंधित, विवाह स्तर में सुरक्षात्मक व विकासात्मक पर जोर दिया और

चतुवर्ण से उपजी जाति प्रथा की कटु आलोचना की इसमें समाज की स्थिति में सुधार करने के लिए विभिन्न सिद्धान्तों को अपनाया है।

कुमार, डॉ0 सुनील (2013) इस लेख में आरक्षण से संबंधी कार्यो में आर्थिक विकास के आरक्षण को स्पष्ट किया गया हैं। अनुसूचित जातियों का प्राचीन परिस्थिति में भेदभाव शोषण अपमान होने के कारण संवैधानिक प्रावधानों में 10 साल के लिए व्यवस्था हैं। फिर भी आज सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, संवैधानिक प्रावधान के कार्यों में परिवर्तन करने के पक्ष पर जोर दिया हैं।

कुमार, आनन्द (2013) इस लेख में अध्ययन किया गया है कि भारत वर्ष की जातीय संरचना का इतिहास बहुत ही पुराना हैं। अनुसूचित जाति के प्रति भेदभाव, अत्याचार, असमानता थी। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के कारण अनुसूचित जातियों में आधुनिकीकरण एंव परिवर्तनशीलता की ओर अग्रसर किया गया हैं। वर्तमान स्थिति में अनुसूचित जातियों में अपने जीवन की दिशा को संवारने एंव सजाने के लिए शिक्षा के मध्यामों से बढ़ावा दिया गया है। अनुसूचित जाति के लिए सामाजिक समता, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्थिक सुरक्षा, धार्मिक संरक्षण, सांस्कृतिक और सामाजिक न्याय के अधिकार पर बल दिया गया है।

खरवार, मनोज कुमार (2013) इस लेख के अध्ययन में प्रचलित अनुसूचित जाति की शिक्षा का वर्णन किया गया है कि अनुसूचित जातियों के अधीन असुविधाएँ, असफलताएँ, कमजोरी, और जाति व्यवस्था का संघर्ष बना हुआ है 26 जनवरी 1950 संविधान सभा में विभिन्न प्रावधान की पुष्टि में सवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति की शिक्षा के लिए सुरक्षाएँ, अस्पृश्यता के विरुद्ध कानून, सेवाओं से आरक्षण और अनुसूचित जाति की शिक्षा के मूल अधिकार की व्यवस्था हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा हैं।

कुमारी, प्रीति (2013) इस लेख के अध्ययन में अनुसूचित जातियों से सम्बधित जाति व्यवस्था का वर्णन किया हैं। अनुसूचित जाति के अधीन जो असुविधाएँ, असफलताएँ और संघर्ष बना हुआ था इसके लिएसमाज पर अध्ययन किया अनुसूचित जातियों के चारों दिशाओं से विकास निश्चित करने के लिए मानवाधिकारों की स्थापना हुई संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त भारत सरकार ने कुछ

अधिनियम भी प्रस्तुत किये अनुसूचित जातियों की निर्योग्यताओं को दूर करने के कारणों का समावेश संविधान में किया हैं। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, नागरिक अधिकार संरक्षण 1955, अपराध एंव चुनाव नियम सशोंधन अधिनियम 1969, अस्पृश्यता अपराध संशोधन अधिनियम 1973, अनुसूचित जाति (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1980 राजनीतिक सता प्रशासन में उनको भागीदारी देने की सामाजिक नीति, आर्थिक रूप से उनको उत्थान करना था।

चौहान, प्रीति (2015) भारतीय नागरिक स्वतन्त्रता एवं जनवादी अधिकार आन्दोलन के इस लेख में कहा है कि भारत दुनिया के विशिष्ट सामाजिक वर्गों से निर्मित एक विशाल लोकतान्त्रिक विकास प्रकिया से जुड़ने सम्बंधी राजनीति चेतना का वर्णन किया हैं। इस समय भी राजनीति अधिकारों के अलावा सामाजिक, आर्थिक अधिकार के बारे में चेतना मौजूद थी लौहिया, सरोजनी नायडू, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर, आदि ने नागरिक स्वतन्त्रता अधिकार से सम्बधित अपने विचारो में लोकतान्त्रिक अधिकार आन्दोलन किया है। लेकिन अनुसूचित जाति के वर्गो को समाज में अपना स्थान पाने के लिए समाज में व्याप्त कुरूतियों को समाप्त करने के लिए विद्वानों ने अपने विचारो के माध्यमों से समाधान किया है। स्वतन्त्रता से पुर्व चली आ रही नागरिक स्वतन्त्रता एव अधिकार आन्दोलन के द्वारा समस्या के सामने उत्पन्न सीमाओं व चुनौतियों तथा आन्दोलन की उस पर प्रतिक्रिया पर चर्चा की गई है। राज्य की मनमानी शक्तियों को सीमित करने व शोषित लोगों के अधिकारों को विस्तृत व सुरक्षित करने के लिए नागरिक जनवादी अधिकार आन्दोलन की आवश्यकता पहले से भी कहीं अधिक हैं।

जाधव,डॉ0 नरेंन्द्र (2015) इस लेखक ने अनुसूचित जाति के सामाजिक संरचना में गहराई से व्याप्त क्रियाओं का अध्ययन किया गया है अनुसूचित जाति के प्रति जो समाज में रूढ़िवादी सोच को मिटाने के लिए भारतीय संविधान के कई प्रावधानों से जागरूक करने का प्रयास किया गया है।

शर्मा, कंचन (2015) इस लेख में भारतीय समाज और राजनीति विचार के बारे में एक व्यापक और विश्लेषणात्मक द्वारा कार्य करने का प्रयास किया है। सामाजिक स्तर पर विचार विमर्श करने के लिए शिक्षा का अधिकार अतिआवश्यक है। अनुसूचित जातियों को कुछ वर्ष निःशुल्क शिक्षा, अनौपचारिक

शिक्षा की व्यवस्था भारतीय संविधान में समाहित हैं। भारतीय राजनीति व्यवस्था और सामाजिक में अनुसूचित जाति के भेदभाव, निर्धनता, अत्याचार को समाज से मिटाने के लिए शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। भारत में अनुसूचित जाति के सामाजिक, राजनीतिक शिक्षा का कारण भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के प्रावधान से अनभिज्ञ होना हैं।

माइकल, एस.एम. (2015) प्रस्तुत अध्ययन में सवैंधानिक प्रावधान के अन्तगर्त सरकार द्वारा सुरक्षात्मक नीतियों कां पालन करने के बावजूद दलित सामाजिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से दरिद्र, राजनीतिक रूप शाक्तिहीन है। दलित शब्द का अर्थ – टुटा हुआ सभी दलित समुहों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, भुमिहीन श्रमिकों एंव गरीबों आदि जाति समस्याएँ समाहित है न्याय संगत समाज के लिए दलित वैचारिक आधारशिला, महात्मा ज्योतिबा फुले, ई. वी. रामास्वामी पेरियार, डॉ0 बाबासाहब अम्बेडकर इत्यादि प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा सास्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी स्तर पर शोषण की व्यवस्था को समाप्त के लिए आन्दोलन किए और सामाजिक, राजनीतिक समानता का प्रयास किया।

कुमार, युवराज (2015) भारत के संविधान में दलित एंव अनुसूचित जाति से सम्बधिंत इनके विरूद्ध होने वाले सामाजिक कुरूतियों को जड़ से मिटाने के कड़े नियम बनाए गए। अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की नीति का विशेष प्रावधान करके उचित न्याय व उचित प्रतिनिधित्व के अधिकारों की व्यवस्था हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों का भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा हैं।

थोरात, सुख देव (2015) प्रस्तुत अध्ययन में ऐतिहासिक रूप भारत में जाति व्यवस्था के व्यक्तियों के सामाजिक सांस्कृतिक एंव आर्थिक राजनीतिक जीवन के लिए नियामकीय आधार निर्मित किए है। अनुसूचित जातियों में अस्पृश्यता द्वारा सामना किए जाने वाले भेदभाव एंव वंचना के उपचार हेतु दिए गए सुझावो का अध्ययन किया हैं। मानवाधिकारों में जाति आधारित बहिष्करण एंव भेदभाव में न केवल आर्थिक अधिकारों बल्कि सांस्कृतिक, राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की असफलता आवश्यक रूप से समाहित हैं। सन 1947 में भारत संविधान के निर्माण में भारतीय समाज की समस्याओं तथा

विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्गो समाज के वचिंत भागों की समस्याओं का निराकरण उपचार किया है।

श्री राम (2015) इस लेख में अध्ययन किया गया है कि अनुसूचित जाति के रूप में सामाजिक, सास्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों में असमानताएँ जो कि वर्ग, जाति, लिंग पर आधारित है हिन्दू धर्म, परम्परागत, ऋग्वेद, पुरोहित, उपनिषद, बौद्ध धर्म, आदि में अनुसूचित जातियों के ऐतिहासिक कार्यो का वर्णन किया गया हैं।

सिहं, संचिता (2015) इस पुस्तक में वर्णन किया गया है कि मानव होने के नाते मानवाधिकार लोगों को विरासत में मिले है इसके अन्तगर्त नागरिकों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक सांस्कृतिक अधिकारभी आते है अनुसूचित जाति के मानवाधिकार की समस्या नस्लीय भेदभाव, भाषा का अधिकार, लैंगिकभेदभाव मौलिक अधिकार के उल्लंघन इत्यादि से जुड़ी हुई है भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के प्रत्येक नागरिक को अपनी मानवीय गरिमा से जीने का अधिकार हैं।

नरूला, बी0 सी0 (2016) समाज के प्रत्येक नागरिकों को सामाजिक जीवन में मूल अधिकार का महत्वपूर्ण अगं माना जाता है आज के दौर में कहा जाये तो प्रजातान्त्रिक युग में अधिकार का महत्व कुछ कम नहीं है बल्कि और अधिक बढ़ जाता हैं। समाज में न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के इन अधिकारों की रक्षा करे किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों, होटलों, सिनेमा घरों, कुओं, तालाबों, रेलवे, बसों आदि में प्रवेश से वचिंत नहीं किया जा सकता यहाँ विधि के समक्ष सभी नागरिकों को समान रखा गया हैं।

कुमार, आशीष (2017) केंद्र सरकार ने देश भर में अनुसूचित जाति और वचिंत वर्गों से आने वाले लोगों स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का निर्णय लिया केन्द्र सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति समाज को व्यवसाय के क्षेत्र में इस मंशा के साथ प्रोत्साहित करना चाहती हैं। अनुसूचित जातियों के लिए चल रही योजनाएँ की संख्या 294 से घटाकर 256 कर दी हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 11 नई योजनाएँ वित वर्ष 2017–2018 में प्रारम्भ की गई अनुसूचित जाति से आने वाली महिलाओं को तीन स्तरो पर चुनौती का सामना एक साथ करना पड़ता हैं। जाति, वर्ग, लिंग सम्बंधी भेदभाव। देश

में अनुसूचित जातियों के लिए अच्छी योजनाओं की कोई कमी नहीं हैं फिर भी कमी हुई हैं। उसके सही क्रियान्वयन की और मजबूत इच्छा शक्ति की, नई सरकार के कामकाज को देख कर उससे यह उपेक्षा की जा सकती है कि आने वालेसमय में योजनाएँ सिर्फ कागजों पर आकार नहीं लेगी बल्कि उसका प्रतिफल जमीन पर भी नजर आएगा और अनुसूचित जाति समाज के जीवन में भी की परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन स्पष्ट हैं।

चौधरी. डॉ0 लाखा राम, (2018) भारत में राजनीतिक आधुनिकीकरण के पश्चात् ही पश्चिमी ढंग की राजनीतिक संस्थाएँ और लोकतन्त्रात्मक मूल्यों को अपनाने के फलस्वरूप पारम्परिक संस्था जातिवाद का अन्त हो जाएगा हमारे राजनीतिक एक ओर तो जातिगत भेदभाव मिटाने की बात करते है वहीं दूसरी ओर जातिगत आधार पर वोट बटोरने की कला में निपुणता शमिल करना चाहते हैं। जाति और राजनीति के कुछ चिंताजनक पहलू है जिनसे भारतीय लोकतान्त्रिक प्रणाली को आघात पहुँचा है, भारत की राजनीति में ऐसे अनेक उदाहरण देखने को मिलते है कि आशिक्षित अंगूठा छाप व्यक्ति समाज की विधानसभाओं और संसद में प्रवेश करते है जातिवादी राजनीति के बल पर मन्त्री पद हथिया लेते है जहाँ एक ओर के राजनीतिकरण को बढ़ाया हैं। वहीं दूसरी और संवैधानिक उपबंध भी राजनीति के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक तथा अन्य क्षेत्रों में भी जातिवाद का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है।

सिंह, नीरज (2018) डॉ0 बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा संचालित भारत के संविधान ने उनके शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक हितो को बढ़ावादेने के उददेश्य से कुछ सुरक्षा भुमिका का अध्ययन किया गया हैं। आजादी के अड़सठवें वर्ष के बाद भी सभी सरकारी शाखाओं में अनुसूचित जातियों की आरक्षण स्थिति अंसन्तोषजनक रही हैं। सरकारी पदों पर आरक्षण की सीटों की जांच करने की प्रतिक्रिया को बढ़ावा दिया गया हैं।

समस्या कथन भारत में सवैंधानिक प्रावधान के अन्तगर्त सामाजिक न्याय और आरक्षण समस्त सुविधाओं के इतने सालों के उपरान्त भी अनुसूचित जाति वर्गों में सुधार नहीं हुआ जितना समाज के अन्तगर्त होना चाहिए था। भारतीय संविधान के प्रावधानों का लाभ वह व्यक्ति ले पा रहा है। जो

समाज के अनुकूल विकास में उनकी सामाजिक सहजता, राजनीतिक सहभागिता एवं कार्यों में जागरूकता है। जो नागरिक इनसे अज्ञात है, वह पुर्णरूपेण लाभ प्राप्त करने में वंचित है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जातियों को सामजिक न्याय में समानता, स्वतन्त्रता, शिक्षा, रोजगार का पर्याप्त लाभ उठाने में कई बाधाओं का सामनाकरना पड़ता है। संवैधानिक प्रावधानों व आरक्षण के प्रति अनुसूचित जातियों के नागरिक अनभिज्ञ होने के कारण सरकार की सुख – सुविधाओं एवं कार्यक्रम के बावजूद भी स्थिति में सुधार और समस्यानुकूल नहीं बन पाया है। लाभ की प्राप्ति के मार्ग में कई बाधायें सम्मिलित है। अशिक्षा, निर्धनता, आत्मविश्वास का अभाव, सरकारी विभागों की क्रियान्वयशीलता और प्रभावशीलता का अभाव, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ, तकनीकि ज्ञान का अभाव इत्यादि समस्या हैं।

अध्ययन महत्व भारतीय सामाजिक और राजनीतिक में अनेक असमानताएॅ कई वर्षो व परिस्थितियों से शोषणकारी व्यवस्था बनी हुई है अनुसूचित जाति के सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों में अत्याचारों व शोषण को समाप्त करने के लिए अनेक नियमों, योजनाएॅ, प्रावधान बनायें गये है। जिससे व्यवहारिक, विकासात्मक, राजनीतिक सहभागिकता, सामाजिक जीवन में सुधार आया है, मुख्य धारा में अभी भी ये वर्ग पूर्ण रूप समाज की स्थिति खराव हैं। भारतीय सवैधानिक नीतियों के प्रति जागरूक नहीं है भारतीय सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के सवैधानिक प्रावधानों के प्रति जागरूक करना इस प्रस्तुत शोध का उल्लेख किया गया है।

उद्देश्य :–

1 भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों में आरक्षण व्यवस्था व सामाजिक न्याय की अवधारणा का अध्ययन करना।

2 संवैधानिक प्रावधान द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए किए गए राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर का अध्ययन करना।

3 अनुसूचित जाति को प्राप्त संवैधानिक सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों की प्रभावशीलता का अध्ययन करना।

4 अनुसूचित जातियों को सामाजिक न्याय प्राप्ति में आने वाली बाधाओं व चुनौतियों का अध्ययन करना।

परिकल्पना :–

1 भारतीय संविधान व्यवस्था मे ंसामाजिक न्याय की अवधारणा को जातिगत आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है

2 भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के विकास के लिए वर्णित प्रावधानों द्वारा इस वर्ग का कल्याण सम्भव है।

3 भारत में अनुसूचित जातियों में अपने अधिकारों के प्रति अभाव पाया जाता है।

4 भारतीय समाज में अनुसूचित जाति व राजनीतिक भागीदारी व जागरूकता द्वारा वर्ण भेद को कम किया जा सकता है या सामाजिक न्याय की प्राप्ती संभव है।

पद्धतिशास्त्र

प्रस्तुत शोध अध्ययन के अर्न्तगत आगरा नगर के 100 वार्ड में से बाहुल्य अनुसूचित जाति के 5 वार्ड का चयन दैव निर्देशन की लॉटरी विधि के द्वारा किया जाऐगा।

क्रमांक	वार्ड	कुल जनसंख्या	अनुसूचित जाति	प्रतिशत
1	बुन्दू कटरा	19117	18149	121.25
2	लॉयर्स कॉलोनी	11580	4126	35.54
3	गैलाना	15243	8115	53.23
4	नरीपुरा	13545	608	4.48
5	नगला पदी	17695	651	3.67

शोध प्रचना

प्रस्तावित शोध कार्य हेतु अन्वेषणात्मक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग किया जायेगा जिसमें तथ्यों का व्यवस्थित अध्ययन पद्धति पर आधारित होगा।

अध्ययन क्षेत्र

प्रस्तुत शोध में अध्ययन के अर्न्तगत आगरा नगर का चयन किया गया हैं। जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 100 वार्ड में से अनुसूचित जाति बाहुल्य पाँच वार्ड–**बुन्दू कटरा, लॉयर्स कॉलोनी, गैलाना, नरीपुरा, नगला पदी,** का अध्ययन किया जाऐगा।

निदर्शन

प्रस्तुत शोध में शोधर्थिनी द्वारा आनुभविक प्रतिवेदन के अन्तगर्त दैव निदर्शन विधि का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग की पाँच वार्ड की कुल जनसंख्या का (3:) 440 इकाइयों को चयनित किया जायेगा।

अध्ययन सयंत्र

प्रस्तुत शोध में अध्ययन में असहभागी अवलोकन व साक्षात्त्कार अनुसूची इत्यादि विधि का प्रयोग किया जायेगा।

तथ्य संग्रहण की प्रविधियाँ

प्रस्तुत शोध कार्य मे समस्या से संबंधित तथ्यो के संकलन हेतु दो प्रमुख स्त्रोतों का प्रयोग किया गया जो निम्नलिखित है

प्राथमिक स्त्रोत

प्रस्तुत शोधकार्य के अन्तर्गत प्राथमिक स्त्रोतों के द्वारा समस्या से संबंधिततथ्यों के संकलन हेतु समाज में साक्षात्कार, अनुसूची पद्धति का प्रयोग किया जायेगा। साक्षात्कार,अनुसूची की प्रविधि के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया जायेगा।

द्वितीयक स्त्रोत

प्रस्तुत शोध कार्य में तथ्यों के संकलन हेतु प्राथमिक तथ्य संकलन के स्त्रोतों के अलावा द्वितीयक तथ्य संकलन के स्त्रोतों का भी प्रयोग किया जायेगा। इस सन्दर्भ में विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों तथा समय–समय पर प्रकाशित अनुसूचित जातियों संबंधित सामाजिक और राजनीतिक अधिकार का अध्ययन संबंधित पुस्तकों, पत्रिकाओं में उपलब्ध सामग्री का प्रयोग किया जायेगा।

अध्ययन का इकाई

प्रस्तावित अध्ययन आगरा नगर क्षेत्र में महिला और पुरूष प्रतिनिधि है।

तथ्यों का वर्गीकरण, सरणीयन, विश्लेषण एवं सामान्यीकरण

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों को संकलित करने के पश्चात उनके वर्गीकरण को सारणीयन में विधि द्वारा प्रदर्शित किया जायेगा। तत्पश्चात तथ्यों का चित्रमय प्रदर्शन करने के बाद उनका विश्लेषण किया जायेगा। अन्त में निष्कर्ष सामान्यीकरण द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे।

प्रस्तावित अध्ययन :–

प्रथम अध्याय :–

1 प्रस्तावना

2 समस्या कथन

3 अध्ययन का महत्व

4 साहित्य का पुनरावलोकन

5 अध्ययन के उद्देश्य

6 परिकल्पना

7 शोध विधि

द्वितीय अध्याय :–

भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय की अवधारणा।

तृतीय अध्याय :–

भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के सामाजिक एवं राजनीतिक संबंधित अवधारणा ।

चतुर्थ अध्याय :–

भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के विकास में आने वाली बाधाओं व चुनौतियाँ।

पंचम अध्याय :–

निष्कर्ष एवं सुक्षाव

सन्दर्भ सूची

- श्रीनिवास, एम0एन0, (2016) "आधुनिक भारत में जाति", राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली
- माइकल, एस0, एम0, (2015) "आधुनिक भारत में दलित" सेज पब्लिकेशन्स ,
- कुमार, डॉ0 कश्यप आलोक, (2013) "भारत में अनुसूचित जातियाँ" (कल और आज) अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस
- सिंह, उभय प्रसाद, (2015), "समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आन्दोलन" ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- शर्मा, डॉ0 सुरेन्द्र कुमार, (2007)"संविधान और सरकार," डिस्कवरी पब्लिशिगं हाउस, नई दिल्ली
- शर्मा, डॉ0 दयाल शंकर (1995), "प्रतिष्ठित भारतीय," प्रभाव प्रकाशन,नई दिल्ली.
- शर्मा, डॉ0 योगेन्द्र कुमार, (2001) "भारतीय राजनीतिक विचारक," ओमेगा पब्लिकेशन्स,
- कुसुम, डॉ0 यदुलाल, (2006),"दलित शिक्षा का परिदृश्य," कल्पज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,
- पाण्डेय, कुमार राजेन्द्र, (2012),"आधुनिक भारतीय चिंतन,"रावत पब्लिकेशन्स.

- सिंह, डॉ0 रामगोपाल, (1999) "सामाजिक न्याय लोकतंत्र जाति व्यवस्था",रावत पब्लिकेशन्स,नई दिल्ली,
- कुमार,डॉ0 राजेन्द्र, (2002)" ग्रामीण समाजशस्त्र," एडलान्टिक पब्लिकेशन्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली
- पांडे, डॉ0 प्रीति, (2006) " डॉ0 अम्बेडकर और पण्डित दीनदयाल," ए0 वी0 डी0 पब्लिकेशन्स , नई दिल्ली
- चौधरी, डॉ0 लाखा राम, (नवम्बर 2018)", भारतीय राजनीतिक में जातिवाद, प्रतियोगिता दर्पण
- प्रिया, नीरज (2007) आरक्षण नीति और शिक्षक, रावत पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,
- विमलकीर्ति, एल. जी. मेश्राम (1996) महात्मा ज्योतिबा फुले रचानावली, राधाकृष्ण
- नरूला बी. सी (2016) संविधान और सरकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस
- जाटव, डी. आर (2007) डॉ0 अम्बेडकर आचार विचार संहिता, ए. वी. डी. पब्लिकेशर्स, जयपुर
- जाधव, डॉ0 नरेंन्द्र (2015) डॉ0 अम्बेडकर सामाजिक विचार एवं दर्शन, प्रभाव प्रकाशन, नई दिल्ली,
- सिंह, डॉ0 संजय (2010) संविधान और मानवाधिकार, ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,
- Fazal.Tanweer, (February 2017) Scheduled Castes,Reservations and Religion ,Contributions to Indian Sociology
- jangir, Dr. Sunil kumar (2013) Reservation Policy and Indian Constitution in India, American International journal
- Borooah, Vani. K (2006) The Effectivenss jobs Reservation- caste, Religion and Economic Status in India
- Singh, Neeraj (2018) Role of Reservation in Development of Scheduled Caste Population in India, Uttar Pradesh

- Ambedkar, S. Nagendra (2008) Reservation Policy, A. B. D Publishers, Jaipur
- Gupta. Mrs.Suman, (October 2014)Dr. B.R Ambedkar and Social Justice ,Third Concept, An International Journal of Ideas, New Delhi

इन्टरनेट वेवसाइट

- https://indikosh.com/city/135700/agra
- https://www.google.co.in/search?ei=ozqOXL3aEMH2vAS0zrzgCw&q=+agra+ward+population&oq=+agra+ward+population&gs_l=psyab.12..0i8i30.12248.13776..16600...0.0..0.933.3048.5-1j3......0....1..gws wiz.......0i71.X_mQHZJ8lZI